

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:-सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-109/2013 (2013/00143) वाद पत्र

उनवान

1-चतरभुज आत्मज हुक्मा बलाई निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

बनाम

वादी

- 1-शिवलाल आत्मज कालु लुहार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर मृतक के बजाय
- 1/1-पप्पुलाल पिता शिवलाल लुहार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 1/2-देउ पुत्री शिवलाल लुहार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 1/3-कमली पुत्री शिवलाल लुहार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2-बंशी आत्मज कालु लुहार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3-सोहनी पत्नि कालु लुहार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर मृतक नाम डिलिट
- 4-प्रकाश आत्मज प्यारा लुहार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5-लक्ष्मण आत्मज प्यारा लुहार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6-सुरेश आत्मज प्यारा लुहार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 7-कैलाश आत्मज प्यारा लुहार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 8-डाली पुत्री प्यारा लुहार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 9-टमु पुत्री प्यारा लुहार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 10-लादुड़ी पुत्री प्यारा लुहार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 11-भगवती पत्नि प्यारा लुहार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 12-गोपाल आत्मज सुखलाल लुहार ना.बा.बे.वि. जरिये माता गंगादेवी नि.खेमाणा तहसील रायपुर
- 13-मुकेश आत्मज सुखलाल लुहार ना.बा.बे.वि. जरिये माता गंगादेवी नि.खेमाणा तहसील रायपुर
- 14-गंगादेवी पत्नि सुखलाल लुहार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 15-मथुरालाल आत्मज गंगाराम लुहार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 16-मांगीलाल आत्मज उदा लुहार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 17-जैसु आत्मज उदा लुहार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर मृतक के बजाय
- 17/1-शंकर पिता जैसु लुहार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 17/2-सुरेश पिता जैसु लुहार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 17/3-संतु पत्नि जैसु लुहार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 17/4-मंजु पत्नि जैसु लुहार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 18-चम्पा पत्नि उदा लुहार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 19-शिव आत्मज कालु लुहार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 20-बंशी आत्मज कालु लुहार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 21-सोहनी पत्नि कालु लुहार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर मृतक नाम डिलिट
- 22-दीपा आत्मज चतरभुज बलाई निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 23-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन-
2. महेन्द्रसिंह चुण्डावत -

वादी अधिवक्ता
प्रतिवादीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक-14.07.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की साबिक कृषि आराजियात ग्राम खेमाणा पटवार हल्का खेमाणा के बैरून हल्का में साबिक खाता संख्या 89 में अंकित आराजी संख्या 1494 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा साबिक खाता संख्या एक में अंकित साबिक आराजी संख्या 1475/1ख रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है, जिस पर वादी वक्त आवंटन से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रमाण में साबिक जमांबदी 2050 से 2053 की खाता संख्या 89 एवं खाता संख्या 1 की वाद पत्र के साथ पेश की हैं। वादी अपनी साबिक कृषि आराजियात जिसका वर्णन वादपत्र की कलम संख्या 1 में किया गया है पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा मौके पर साबिक नक्शे के मुताबिक काबिज है। तहसील रायपुर का भू प्रबन्ध होने से ग्राम खेमाणा का भी भू प्रबन्ध हुआ जिससे वादी की साबिक आराजी संख्या 1494 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा के नवीन नम्बर 3129 रकबा 1.20 है, साबिक आराजी संख्या 1475/1ख रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा के नवीन नम्बर साबिक आराजी संख्या 1475/1ग व 1475 मीन को मिलाते हुए नवीन आराजी संख्या 3033 रकबा 0.58 है, आराजी संख्या 3034 रकबा 0.09 है, आराजी संख्या 3151/3031 रकबा 0.30 है कायम किये गये। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा वादी की साबिक आराजी के नम्बर एवं रकबा तो सही कायम किया परन्तु बिना किसी आदेश से एवं मनमर्जी से वादी की साबिक आराजियात 1494 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा को नवीन नक्शे एवं मौके की स्थिति के विपरीत तरमीम करते हुए नक्शे में आराजी संख्या 3129 के दक्षिण कोने को नुकीला कर दिया जबकि साबिक नक्शे में दक्षिणी कोना समतल होकर फिर तिरछा है तथा वादी की आराजी के दक्षिणी कोने में प्रतिवादीगण की आराजी संख्या 3131 का रकबा बढ़ा दिया जो गलत होकर अवैध है। भू प्रबन्ध विभाग को उक्त कृत्य विधि विरुद्ध किया जिसे दुरुस्त योग्य है तथा इन्द्राज दुरुस्ती की घोषणात्मक डिक्री जारी फरमाया जाना आवश्यक हो गया है। आराजी संख्या 3131 एवं 3130 का रकबा वादी के कब्जे काश्त की जमीन में आने से प्रतिवादीगण आये दिन वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि नाजायज दखलदांजी करते रहते हैं जिससे उनके विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाई जाना आवश्यक हो गया है। अतः बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की इन्द्राज दुरुस्ती की घोषणात्मक डिक्री सादिर फरमाई जावे कि ग्राम खेमाणा में स्थित आराजी संख्या 3129 रकबा 1.20 है को नवीन नक्शे में मौके स्थिति एवं साबिक नक्शे के अनुसार तरमीम करते हुए उसका दक्षिणी कोना पुनः समतल किया जाकर कमी रकबा पुरा किया जावे एवं आराजी संख्या 3034, 3033 एवं 3151/3031 को नवीन नक्शे में मौके की स्थिति एवं साबिक नक्शे के अनुसार तरमीम करते हुए नक्शे में उसका रकबा 0.97 है करने उत्तर दिशा में दर्ज रास्ते को हटाने की घोषणात्मक डिक्री जारी फरमाई जावे। साथ ही बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी कृषि भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करे, न किसी अन्य से करावे तथा वादी को जबरन बेदखल नही करे एवं वादी को शान्तिपूर्वक उपयोग करने देवे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। सम्मन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 व 11 लगायत 22 बावजुद सूचना के उपस्थित नही हाने से एक तरफा कार्यवाही की गई एवं प्रतिवादी संख्या 8, 9, 10 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित एवं प्रतिवादी संख्या 23 की ओर से पैराकार सरकार उपस्थित है।

उक्त प्रकरण में मौका स्थिति की रिपोर्ट दिनांक 30.08.2016 की उपलब्ध है जिस पर वादी अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि पुनः मौका स्थिति का निरीक्षण कराया जाकर रिपोर्ट

मंगवाई जावे। इस पर दौराने पेशी दिनांक 24.05.2022 को उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित जिनके द्वारा न्यायालय से निवेदन किया कि दोनो पक्ष अपने अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज है और न्यायालय श्रीमान् मौका स्थिति का अवलोकन कराकर मौके को ध्यान में रखते हुए पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाई जावे और उस अनुसार निर्णय पारित करे जिसमें किसी पक्ष को कोई ऐतराज नही है।

उपयपक्ष अधिवक्ताओ के निवेदन पर नायब तहसीलदार उपखण्ड कार्यालय रायपुर को मौका निरीक्षण हेतु निर्देशित किया जिस पर नायब तहसीलदार उपखण्ड कार्यालय रायपुर के द्वारा दोनो पक्षो की उपस्थिति में दिनांक 07.07.2022 को मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली है। नायब तहसीलदार रायपुर के द्वारा पर्चा मौका में अंकित किया कि वादी एवं प्रतिवादी की भूमि का मौका निरीक्षण राजस्व नक्शे के मुस्तकिल निशानात चाह संख्या 3132 एवं 3035 के मध्य से दोनो ओर नियत जरीब चलाकर जांच की गई तो पाया कि वादी की आराजी संख्या 3128, 3129, 3133, 3134 एवं 3151/3031 किता 5 रकबा 2.21 है0 पर मौके पर थोहर की बाड़ लगाकर कब्जा काशत की जा रही है। विपक्षीगणो की खातेदारी भूमि पर विपक्षीगणो का ही कब्जा होना पाया गया मौके पर प्रतिवादीगण संख्या 5, 12, 15, 16, एवं वादी स्वयं एवं इनके पुत्र नारायण, पुष्कर पिता चतरभुज उपस्थित जिनको मौका स्थिति से अवगत कराया गया है। पर्चा मौका शामिल पत्रावली है।


उक्त मौका स्थिति से उभयपक्ष अधिवक्ता को अवगत कराया गया जिसका अवलोकन कर नियमानुसार निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया गया।

मैने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 30.08.2016 एवं दिनांक 07.07.2022 का पर्चा मौका का अवलोकन किया तो पाया कि वादी आराजी संख्या 3128, 3129, 3033, 3034, 3191/3031 का खातेदार कृषक है। उक्त आराजियात की राजस्व रेकार्ड से मौका निरीक्षण कर पूर्व में दिनांक 30.08.2016 को मौका निरीक्षण कर भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें अंकन किया कि वादी के पुराने और नये नक्शे में कोई भिन्नता नही है। रेकार्ड अनुसार नक्शे का क्षेत्रफल बराबर है। भू प्रबन्ध विभाग से किसी प्रकार की कोई त्रुटी नही हुई है। दिनांक 07.07.2022 को उभयपक्ष अधिवक्ताओ के निवेदन पर नायब तहसीलदार रायपुर से मौका निरीक्षण कराया गया जिसमें मौके पर राजस्व नक्शे अनुसार मौका निरीक्षण नायब तहसीलदार के द्वारा मौके पर्चे में अंकन किया कि वादी के द्वारा अपनी खातेदारी आराजी के चारो तरफ थोहर की बाड़ लगाकर मौके पर काशत की जा रही है। प्रतिवादीगणो की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगणो का ही कब्जा है। उक्त मौका निरीक्षण दोनो पक्षो की उपस्थिति में किया गया है, जिसमें मौके पर कोई भिन्नता नही पायी गयी, और दोनो पक्ष अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण रेकार्ड और मौके के विपरीत होने से अस्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः वादी द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत वाद रेकार्ड एवं मौके के विपरीत होने से अस्वीकार किया जाता है। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।


14/07/2022
सुन्दरलाल बम्बोडा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भोलवाडा
रायपुर जिला भोलवाडा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:-श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-109/2013 (2013/00143) वाद पत्र

उनवान

1-चतरभुज आत्मज हुक्मा बलाई निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

बनाम

वादी

- 1-शिवलाल आत्मज कालु लुहार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर मृतक के बजाय
- 1/1-पप्पुलाल पिता शिवलाल लुहार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 1/2-देउ पुत्री शिवलाल लुहार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 1/3-कमली पुत्री शिवलाल लुहार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2-बंशी आत्मज कालु लुहार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3-सोहनी पत्नि कालु लुहार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर मृतक नाम डिलिट
- 4-प्रकाश आत्मज प्यारा लुहार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5-लक्ष्मण आत्मज प्यारा लुहार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6-सुरेश आत्मज प्यारा लुहार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 7-कैलाश आत्मज प्यारा लुहार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 8-डाली पुत्री प्यारा लुहार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 9-टमु पुत्री प्यारा लुहार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 10-लादुड़ी पुत्री प्यारा लुहार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 11-भगवती पत्नि प्यारा लुहार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 12-गोपाल आत्मज सुखलाल लुहार ना.बा.बे.वि. जरिये माता गंगादेवी नि.खेमाणा तहसील रायपुर
- 13-मुकेश आत्मज सुखलाल लुहार ना.बा.बे.वि. जरिये माता गंगादेवी नि.खेमाणा तहसील रायपुर
- 14-गंगादेवी पत्नि सुखलाल लुहार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 15-मथुरालाल आत्मज गंगाराम लुहार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 16-मांगीलाल आत्मज उदा लुहार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 17-जैसु आत्मज उदा लुहार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर मृतक के बजाय
- 17/1-शंकर पिता जैसु लुहार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 17/2-सुरेश पिता जैसु लुहार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 17/3-संतु पत्नि जैसु लुहार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 17/4-मंजु पत्नि जैसु लुहार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 18-चम्पा पत्नि उदा लुहार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 19-शिव आत्मज कालु लुहार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 20-बंशी आत्मज कालु लुहार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 21-सोहनी पत्नि कालु लुहार निवासी खेमाणा तहसील रायपुर मृतक नाम डिलिट
- 22-दीपा आत्मज चतरभुज बलाई निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 23-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत वाद रेकार्ड एवं मौके के विपरीत होने से अस्वीकार किया जाता है।

वाद में डिक्री आज दिनांक 14.07.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा
रायपुर (भीलवाड़ा)